

प्रेषक,

आर० पी० सिंह
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, अलीगंज, लखनऊ।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 13 अप्रैल 2022

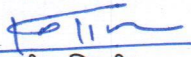
विषय- कन्नौज में एन०एच०-91 किमी० 289 से 356 तक (नवीगंज से मित्रसेनपुर मार्ग) 04 लेन चौड़ीकरण हेतु प्रभावित 99.32 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 6478 वृक्षों व 24281 पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-कन्नौज/26451/2017)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-8बी/यूपी/06/25/2018/एफसी/393 दिनांक 06.09.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में कतिपय आपत्तियां की गई थी। तत्क्रम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-2617/कन्नौज/26451/2017 दिनांक 16.03.2022 एवं पत्र दिनांक 13.12.2021 द्वारा आपत्ति का निराकरण करते हुए सूचना/अभिलेख शासन को उपलब्ध कराया गई है।

2- अतएवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र दिनांक 16.03.2022 एवं पत्र दिनांक 13.12.2021 द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना/अभिलेख की प्रति प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
संलग्नक यथोक्त।

भवदीय,


(आशीष तिवारी)

सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।
2. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(आर० पी० सिंह)

अनु सचिव